

## भाग— ||

**(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

**प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.FP/ Uk /Road / 39655 /2019**

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – किमी011 में नावली से लोशज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
  - ii) जिला नैनीताल
  - iii) वन प्रभाग नैनीताल वन प्रभाग
  - iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) 0.936 है0
  - v) वन की कानूनी स्थिति सिविल एव सोयम भूमि
  - vi) हरियाली का घनत्व 0.3
  - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि वृक्षों प्रभावित नही होते हैं ।  
श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए) | सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिणाम भी संलग्न किए जाए
  - viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न हैं ।  
शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।
  - ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से 2 किमी0 की दूरी पर वन की सीमा से अनुमानित दूरी
  - x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
  - xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। नही
  - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नही
- 8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। संलग्नक
- 9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। नही
- 10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	1.0 है0 से कम क्षेत्र होने के कारण
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कायान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	-
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	-
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	-
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न
12-	प्रभाग / जिला प्रोफाइल	
	i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	679400 है0
	ii. जिला का वन क्षेत्र।	402040 है0
	iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र	291 मामले 458.267 है0 जिसमें सि0सो0 / व0प0भी सम्मिलित हैं।
	iv. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	977.890 है0
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर 2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	929.542 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित ।
दिनांक.....	1.2.2019	
स्थान.....	भू.प्राविधिकारी	

  
 प्रभारीपंचानाधिकारी  
 मनीकरण कम प्रभाग, नैनीताल